न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 430/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/706

अनवान

1 श्रीमती कृष्णादेवी गोस्वामी पुत्री स्व शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) पत्नी हरिवन जी गोस्वामी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज हाल निवासी 402 हिजाईनर हाईट्स ढिकली रोड प्रतापनगर उदयपुर राज.।

2 श्रीमती यशोदा गोस्वामी उर्फ भंवरी गोस्वामी पुत्री स्व शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) पत्नी रामवन जी गोस्वामी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज हाल निवासी बी–18 अल्कापुरी एक्शटेन्शन जाडेश्वर रोड़ तुलसी धाम 7 मार्केट भरूच (गुजरात)

3 श्रीमती शान्तादेवी पुत्री स्व. शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) पत्नी श्री मागुनिरी जी गोस्वामी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर हाल निवासी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री सत्यनारायणपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री गोपालपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री गोविन्दपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. मु. कमलादेवी पत्नी स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.10.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में खाता संख्या 1581 की आराजी न. 341 शा.न. 342, 348, 349, 350, 351, 343 शा.न. 344, 347, 384 385 शा.न. 416/2, 388/2 शा.न. 387, 416/3 शा.न. 385 किता 7 रकबा 17 बिघा जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सत्यनारायणपुरी, गोपालपुरी, गोविन्दपुरी पिता शिवपुरी, मु. कमलादेवी वेवा शिवपुरी गुसाई साकिन देह हि. ब. खातेदर के नाम दर्ज रेकर्ड है। यह कि स्व. शिवपुरी जी गुसाई वादग्रस्त भूमि के खातेदार थे जिनके पक्षकारान पुत्र, पुत्रिया एवं पत्नी होकर प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। वादग्रस्त भूमि शिवपुरी जी की मृत्यु उपरान्त सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित होनी चाहिए थी जो नहीं कर गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम कर दी गई जो अवैध होकर वादीगण के हिस्से के मुकाबले अवैध, अकृत, शुन्य एवं बेअसर है। यह कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 01 से 3 का क्रमशः 1/7, 1/7 हक, हिस्सा, खातेदारी

सहायक कलक्टर
भीण्डर

अधिकारी है। वर्तमान अंकन 1/4, 1/4 प्रतिवादी संख्या 01 से 4 का है जो गलत है और इस गलत अंकन को सही की तरह से काम में लेने की कुचेष्टा प्रतिवादीगण ने की है और इसी के तत एक नुमाईशी लिखापढी चारों ने आपस में वादीगण को अपने हक हिस्से से वंचित करने की बनियत से की है जो वादीगण के मुकाबले अवैध है लेकिन वादीगण को भय है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के 1/4, 1/4 के गलत अंकन को सही की तरह काम मे लेते हुए वादग्रस्त भूमि से वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगें तथा भूमि को नुमाईशी दस्तावेज लिख कर बेह, बक्षीस रहन आदि तरिकों से हस्तान्तरित कर देगें।

2. यह कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण ने अपने नाम का अंकन कराने के लिये प्रतिवादी पक्ष को कहा तो अंकन कराने का आश्वासन बराबर देते रहे लेकिन गुप्त रूप से सितम्बर 2019 में आपस में प्रतिवादीगण ने कोई नुमाईशी लिखापढी कराई जिसकी भनक लगने पर सख्ती से वादीगण ने प्रतिवादीगण पक्ष को अपने नाम पर वादग्रस्त भूमि कराने को अक्टूम्बर 2019 में कहा तो मना कर दिया जिससे बिनाय वाद अन्तिम बार अक्टूम्बर 2019 में उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है जिससे वादग्रस्त भूमि के 1/7, 1/7 हिस्से के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पी डबल्यू – 1 श्री कृष्णा देवी गोस्वावी पुत्री स्व. श्री शिवपुरी गोस्वामी (वादी संख्या 1) का पेश किया तथा दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2068–71 की खाता संख्या नया 1581 की जमावंदी प्रर्दश–1, जमावंदी संवत 2044–47 प्रर्दश– 2 कराई गई। प्रतिवादीगण द्वारा वाद का जवाब पेश नहीं किया गया तथा अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है।

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्व. श्री शिवपुरी जी गुसाई थे जिनके पक्षकारान पुत्र, पुत्रीया एवं पत्नी होकर प्रथम श्रेणी के वारिसान है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार शिवपुरी जी की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 में अर्थात सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित होनी चाहिये थी लेकिन वादग्रस्त भूमि गलत तरिके से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम कर दी जिससे वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने 1/7, 1/7 हिस्से की घोषणा चाही। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–2 पेश किया जिससे पाया कि

सहायक कलक्टर
भीण्डर

जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में वादग्रस्त भूमि शिवपुरी जी के नाम दर्ज रेकर्ड थी जो वादीगण के पिता है जिसकी ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है। दस्तावेज प्रदर्श–2 से पाया कि नामान्तरण संख्या 2678 विरासत से पुरा खाता प्रतिवादी सत्यनारायण पुरी, गोपालपुरी, गोविन्दपुरी पिता शिवपुरी व कमला देवी बेवा शिवपुरी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई जिससे वादी का यह कथन स्पष्ट है कि श्री शिवपुरी जी की मृत्यु उपरान्तु वादग्रस्त भूमि अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई जबकि वादीगण श्री शिवपुरी की पुत्रिया होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है। दस्तावेज प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 2678 विरासत दिनांक 02.06.1988 को स्वीकृत हुआ जिससे उक्त प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होता है जिसमें खातेदार के समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान का हक हिस्सा निहित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद पत्र का किसी प्रकार का खण्डन न करते हुये जवाब पेश नहीं किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 से पाया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सत्यनारायण पुरी, गोपालपुरी, गोविन्दपुरी पिता शिवपुरी, मु. कमलादेवी बेवा शिवपुरी गुसाई के नाम दर्ज रेकर्ड है जिससे स्पष्ट है कि विरासत के नामान्तरण के समय प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण को वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा नहीं दिया गया।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण स्व. श्री शिवपुरी जी की पुत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिससे वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2068–71 की खाता संख्या 1581 की आराजी संख्या 341 शा.न. 342, 348, 349, 350, 351, 343 शा.न. 344, 347, 384, 385 शा. न. 416/2, 388/2 शा.न. 387, 416/3 शा.न. 385 किता 7 रकबा 17 विघा भूमि में वादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीण्डर

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

ायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 430/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/706

अनवान

श्रीमती कृष्णादेवी गोस्वामी पुत्री स्व. शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) पत्नी हरिवन जी गोस्वामी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. हाल निवासी 402 डिजाईनर हाईटस ढिकली रोड प्रतापनगर उदयपुर राज.।

श्रीमती यशोदा गोस्वामी उर्फ भंवरी गोस्वामी पुत्री स्व. शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) पत्नी रामवन जी गोस्वामी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. हाल निवासी बी–18 अल्कापुरी एक्शटेन्शन जाडेश्वर रोड तुलसी धाम 7 मार्केट भरूच (गुजरात)

श्रीमती शान्तादेवी पुत्री स्व. शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) पत्नी श्री मांगुगिरी जी गोस्वामी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर हाल निवासी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....वादी

बनाम्

1. श्री सत्यनारायणपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री गोपालपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री गोविन्दपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. मु. कमलादेवी पत्नी स्व. श्री शिवपुरी जी गोस्वामी (गुसाई) निवासी सदर बाजार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1.

1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न. : 430/21 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2068–71 की खाता संख्या 1581 की आराजी संख्या 341 शा.न. 342, 348, 349, 350, 351, 343 शा.न. 344, 347, 384, 385 शा.न. 416/2, 388/2 शा.न. 387, 416/3 शा.न. 385 किता 7 रकबा 17 बिघा भूमि में वादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर